रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042020-219022
CG-DL-E-07042020-219022

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2020/चैत्र 18, 1942
No. 91] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2020/CHAITRA 18, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2020

सं. 01/2015–2020

विषय : ईपीसीजी स्कीम के तहत एककालिक छूट को 31.03.2021 तक बढ़ाने के संबंध में।

फा. सं. 18/42/एएम–18/पी–5.—विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित सार्वजनिक सूचनाएं जारी की गई हैं:

(क) **सार्वजनिक सूचना सं. 35/2015–20 दिनांक 25.10.2017** – ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अवधि में ब्लाक–वार विस्तार प्राप्त करने संबंधी समयावधि में एककालिक छूट।

(ख) **सार्वजनिक सूचना सं. 36/2015–20 दिनांक 25.10.2017** – ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार प्राप्त करने के संबंध में समयावधि की एककालिक छूट।

(ग) **सार्वजनिक सूचना सं. 37/2015–20 दिनांक 25.10.2017** – ईपीसीजी स्कीम के तहत संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ करने के लिए एककालिक छूट।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं की वैधता को दिनांक 26.04.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 01/2015–20 द्वारा दिनांक 30.09.2018 तक बढ़ाया गया था, दिनांक 11.03.2019 की सार्वजनिक सूचना सं. 78/2015–20 द्वारा आगे दिनांक 30.09.2019 तक बढ़ाया गया था और इसके अतिरिक्त दिनांक 03.01.2020 की सार्वजनिक सूचना सं. 55/2015–20 द्वारा आगे 31.03.2020 तक बढ़ाया गया था।

3. दिनांक 25.10.2017 की सार्वजनिक सूचना सं. 37/2015–20 को निम्नलिखित सार्वजनिक सूचना द्वारा संशोधित किया गया:–

दिनांक 14.08.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 30/2015–20– किसी भी जुर्माने के भुगतान के बिना दिनांक 31.03.2015 तक जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब में एककालिक माफी एवं छूट हेतु दिनांक 31 मार्च, 2019 तक क्षेत्रीय प्राधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

4. विदेश व्यापार नीति (2015–20) के पैरा 2.58 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति (2015–20) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा जनहित में उपरोक्त वर्णित सार्वजनिक सूचनाओं के संबंध में आवेदनों को प्राप्त करने की अवधि को आगे 31.03.2021 तक बढाते हैं। तथापि, इन सार्वजनिक सूचनाओं में उल्लिखित, रु. 5000/– के अतिरिक्त संयोजन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्त वर्णित सार्वजनिक सूचनाओं की अन्य विषय वस्तु यथावत रहेगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:– क्षेत्रीय प्राधिकारियों के यहां ब्लाक–वार विस्तार; निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार और संस्थापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवेदन प्राप्त हेतु समयावधि को आगे बढ़ाकर 31.03.2021 तक किया जाता है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th April, 2020

No. 01/2015-20

Subject : One-time condonation under the EPCG Scheme–Extension till 31.03.2021.

F. No. 18/42/AM-18/P-5.—The following Public Notices have been issued by the Directorate General of Foreign Trade:-

(a) **Public Notice No. 35/2015-20 dated 25.10.2017 -** Onetime condonation of time period in respect of obtaining block-wise extension in Export Obligation period under EPCG Scheme.

(b) **Public Notice No. 36/2015-20 dated 25.10.2017 -** Onetime condonation of time period in respect of obtaining extension in Export Obligation Period under EPCG Scheme.

(c) **Public Notice No. 37/2015-20 dated 25.10.2017 -** Onetime relaxation for condonation of delay in submission of installation certificate under EPCG Scheme.

2. The validity of the above mentioned Public Notices was extended till 30.9.2018 *vide* Public Notice No. 1/2015-20 dated 26.04.2018, again extended till 30.09.2019 *vide* Public Notice No.78/2015-20 dated 11.03.2019 and further extended till 31.03.2020 *vide* Public Notice No.55/2015-20 dated 03.01.2020.

3. Public Notice No.37/2015-20 dated 25.10.2017 was modified *vide* following Public Notice:-

Public Notice No. 30/2015-20 dated 14.08.2018 – RAs have been delegated power till 31st March, 2019 of one time relaxation and condonation of delay in submission of installation certificate for EPCG authorizations issued up to 31.03.2015, without payment of any penalty.

4. In exercise of powers conferred under Paragraph 2.04 of Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended, read with Paragraph 2.58 of Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended, the Director General of Foreign Trade in public interest hereby further extends the time of receipt of requests till 31.03.2021 in respect of the above mentioned Public Notices. However, additional composition fee of Rs.5000/-, mentioned in these Public Notices, is not required to be paid.

5. The other contents of the above mentioned Public Notices shall remain the same.

Effect of this Public Notice: The time period to receive requests in RAs for block-wise extension; extension in Export Obligation Period and submission of installation certificate is further extended up to 31.03.2021.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade

& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2020.04.07 21:54:23 +05'30'